न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 96/2025 बउनवानी बेजनाथ शर्मा बनाम उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री हरिचरण शर्मा निवासी चूलीगेट वार्ड नम्बर 18 गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/ 241 **Appeal Number- 321474355476088**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(8)राजस्व/-3/16 दिनांक 22.9.2016 की प्रमाणित प्रति सूचना* " उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिट को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2023/73 दिनांक 29.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना (*संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(8)राजस्व/-3/16 दिनांक 22.9.2016 की प्रति*) उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 74 दिनांक 29.8.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (*संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(8)राजस्व/-3/16 दिनांक 22.9.2016 की प्रति*) अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। करवाया जा चुका है तथा उक्त कार्यवाही से अपीलान्ट संतुष्ट है एवं उक्त प्रकरण मे आगे ओर कोई कार्यवाही नही चाहता है। चूंकि चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner